राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों की संख्या में दानपत्र/ताम्रपत्र मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण ताम्र-पत्रों का उल्लेख निम्नलिखित है-

1. **धूलेव ताम्र-पत्र** (679 ई.)-संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यह ताम्र पत्र हमें मेवाड़ (उदयपुर) के धूलेव गाँव के एक ब्राह्मण के पास मिला। इसमें लिखा है कि, किष्किन्धा (कल्याणपुर) के महाराज भेटी ने महाराज बप्पदति के श्रेयार्थ तथा धर्मार्थ उब्बरक नामक गाँव को भट्टिनाग नामक ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसका समय 23वाँ वर्ष अर्थात् हर्ष संवत् है, जो 679 ई. के लगभग का है। इसमें दिये गये संवत् को अश्वाभुज संवत्सर कहा गया है।

2. **मथनदेव का ताम्र-पत्र** (959 ई.)-यह ताम्र-पत्र राजोरगढ़ (अलवर) के प्रतिहार गौत्रीय मथनदेव (महाराजाधिराज सावट का पुत्र) का है, जिसका समय वि.सं. 1016 माघ शुक्ला 13 है। इस ताम्र-पत्र में समस्त राजपुरूष व गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष देवालय के निमित्त भूमिदान की व्यवस्था अंकित है। इस दान-पत्र को हरि ने खोदा था। इसमें प्रयुक्त भाषा संस्कृत है।

3. **ब्रोंच गुर्जर ताम्र-पत्र** (978 ई.)-अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस ताम्र-पत्र के आधार पर राजपूतों को यू-ची जाति (कुषाण) की सन्तान माना है, जो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आये। इसमें गुर्जर जाति के कबीले का सप्तसैंधव प्रदेश में गंगा-कावेरी तक अभियान करने का उल्लेख हैं।

4. **धारावर्ष का ताम्रपत्र** (1180 ई.)–यह ताम्रपत्र आबू के परमार शासक धारावर्ष के समय का है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य एवं गद्य है। यह अनुदान देवोत्थापनी एकादशी का था, जिसमें शिवधर्म के आचार्य के लिए साहिलवाड़ा तथा गोचर भूमि की सुविधा दी गई। इसमें हल (भूमि की नाप), ग्रास (एक प्रकार की भूमि) तथा गोचर (चारागाह) शब्दों का उल्लेख है।

5. **वीरपुर का ताम्र-पत्र** (1185 ई.)-यह दानपत्र जयसंमद झील के पास वीरपुर गाँव से प्राप्त हुआ, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक **भीमदेव द्वितीय** (भोलाभीम) के सामंत वागड़ के राजा **अमृतपाल देव** का है। इसमें अमृतपाल देव द्वारा सूर्य-पर्व पर भूमि दान का उल्लेख है। इसमें अरघट्ट (रहँट के लिए), ग्राम (गाँव के लिए), हल (भूमि की नाप के लिए), नायक (एक विशिष्ट पद के लिए) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार इसमें सामंत व ठक्कुर शब्दों का प्रयोग भी सामंत प्रथा के द्योतक है। इसमें वागड़ को **वटपद्रक/वद्रपटक मंडल** में सम्मिलित किया है।

6. **कदमाल का ताम्र-पत्र** (1194 ई.)-यह ताम्र-पत्र संस्कृत मिश्रित स्थानीय भाषा में लिखित है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय **पद्मसिंह** का यह पहला ताम्रपत्र है। इसमें सोम पर्व के अवसर पर

शिवगुण को कदमाल में भूमिदान देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र से यह भी स्पष्ट है कि ऐसे अनुदानों में स्थानीय वणिक, ब्राह्मण तथा शासक वर्ग के राजपूतों की साक्षी रहती थी, क्योंकि स्थानीय शासन व्यवस्था के वे अंग होते थे।

कदमाल से 1259 ई. का प्राप्त एक अन्य ताम्रपत्र गुहिल वंशीय नरेश तेजसिंह के समय का प्रथम ताम्रपत्र है, जिसमें सूर्यपर्व में शिवगुण के पुत्र त्रिकंष को तेजसिंह द्वारा कदमाल गाँव में भूमि दान देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में विशेष रूप से 'श' के स्थान पर 'स' का खूब प्रयोग हुआ है।

7. आहड़ का ताम्र-पत्र (1206 ई.)-यह ताम्र-पत्र गुजरात के सोलंकी (चालुक्य) राजा भीमदेव द्वितीय का है। इसकी भाषा संस्कृत है। इस ताम्रपत्र में भीमदेव द्वितीय द्वारा मेवाड़ के मंडल आहड़ का अरहट/अरहर गाँव कृष्णात्रिय गोत्र के रायकवाल जाति के ब्राह्मण वीहड़ के पुत्र रविदेव को दान में देने का उल्लेख है। इस ताम्र-पत्र में गुजरात के शासक मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। इस ताम्र-पत्र में मंडल शब्द का प्रयोग जिले की इकाई के लिये प्रयुक्त किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि आहड़ मेवाड़ का एक मण्डल (जिला) था। इसमें भीमदेव के विरुद् परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर अभिनवसिद्धराज दिये गये हैं।

8. वीरसिंह देव का ताम्र-पत्र (1287 ई.)-इस ताम्र-पत्र से हमें वागड़ के राजाओं के वंशक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसमें वागड़ की राजधानी वद्रपटक/वटपद्रक (बड़ौदा) होने का उल्लेख है।

9. नदिया गाँव का ताम्र-पत्र (1437 ई.)-यह ताम्र-पत्र सिरोही जिले के नदिया गाँव से प्राप्त हुआ था, जिसे डॉ. ओझा ने राजपूताना संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित रखवा दिया। इसमें अजाहरी (अजारी) परगने के चूरड़ी (चवरली) गाँव में दवे परमा को भूमि दान करने का उल्लेख है। इससे प्रमाणित होता है कि आबू का प्रदेश महाराणा कुम्भा के अधीन हो गया था। इसमें प्रयुक्त 'प्रगणं' शब्द बड़े महत्व का है, जिसका रूपान्तर परगना है।

10. खेरोदा ताम्र-पत्र (1437 ई.)-यह ताम्र-पत्र एकलिंग जी के मंदिर में महाराणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित करने के लिए दान में दिये गये खेतों के आस-पास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों (जैसे-भटेवर की वाट, माहोली री वाट, निवाण्यारी वाट और वागड़ी री वाटी), उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी देता है।

11. करेड़ा गाँव का ताम्र-पत्र (1460 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा कुम्भा के समय का है। जिसमें ओझा कलु को करेड़ा ग्राम में चन्द्रपर्व के समय तीन हल भूमि पुण्यार्थ देने का उल्लेख है।

12. पारसोली का ताम्र-पत्र (1473 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा रायमल के समय का है, जिसमें उल्लेखित है कि महाराणा

ने गणेशराय चौबीसा ब्राह्मण को पारसोली गाँव (बारां) में जमीन पुण्यार्थ दी। इस ताम्र-पत्र से भूमि की किस्मों पर प्रकाश पड़ता है जो पीवल, गोरमो, माल, मगरा आदि नामों से जानी जाती थी। इस भूमि को समस्त लागों से विमुक्त कर दिया गया था, जो उस समय प्रचलित थी।

13. चीकली का ताम्र-पत्र (1483 ई.)-यह ताम्र-पत्र वागड़ी भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि, उस समय पटेल, सुथार एवं ब्राह्मण खेती का कार्य करते थे तथा इसी से उस जमाने में किसानों से वसूल की जाने वाली लाग-बाग का पता चलता है। इस ताम्र-पत्र से खेतों के टुकड़ों को कटकों में बाँटने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है।

14. रायमल का ताम्र-पत्र (1487 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा रायमल के समय का है, जिसमें जोशी क्रड़वा को बरवाड़े में एक रहँट व खेत देने का उल्लेख है, जो सरकारी भूमि से दिया गया था। इसकी भाषा कई जगह अस्पष्ट है।

15. मेनाल का ताम्र-पत्र (1488 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा रायमल के समय का है, जिसमें राजि नामक मेनारिया ब्राह्मण को 100 टका प्रतिवर्ष अनुदान देने का उल्लेख है। यह अनुदान महाराणा ने अपने पिता कुम्भा एवं अपनी माता अपूर्व देवी के श्रेयार्थ चित्तौड़ के समाधिश्वर के समक्ष किया।

16. धनवाड़ा का ताम्र-पत्र (1521 ई.)-यह ताम्रपत्र महाराणा सांगा के समय का है, जब वह गुजरात आदि स्थानों की विजयों से निश्चिंत होकर बाबर के आक्रमण के पूर्व अपने राज्य की व्यवस्था में संलग्न था। इसमें उल्लेखित है कि महाराणा ने पालीवाल जाति के ब्राह्मण पुरोहित दामोदर को अनुदान देकर संतुष्ट किया।

17. संग्रामसिंह का ताम्र-पत्र (1526 ई.)-इस ताम्र-पत्र से हमें यह पता चलता है कि महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ने श्रीधर नामक व्यक्ति को सूर्य पर्व पर एक गाँव पुण्यार्थ दिया।

18. जालीया गाँव (मेवाड़) का ताम्र-पत्र (1532 ई.)-यह ताम्र पत्र महाराणा विक्रमादित्य का है, जिसमें उल्लेखित है कि वि.सं. 1589 में पुरोहित जानाशंकर को जालिया ग्राम की बाई लषा से विवाह करते समय मांडलगढ़ पुण्यार्थ दिया। इस ताम्रपत्र से सिद्ध होता है कि उक्त संवत् से पूर्व महाराणा गद्दी पर बैठ गये थे, जबकि कर्नल टॉड ने संवत् 1591 ई. में महाराणा का गद्दी पर बैठना लिखा है, जो सही नहीं है।

19. तलोड़ी का ताम्र-पत्र (1533 ई.)-यह ताम्रपत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय का है, जिसमें शंकर व्यास को तलोड़ी गाँव सूर्य पर्व पर पुण्यार्थ देने का उल्लेख है। इसकी आज्ञा शाहआशा द्वारा दी गई और उसे पंचोली विनायक ने लिखा था। यह अनुदान बहादुरशाह के चित्तौड़ आक्रमण की संभावना के समय किया गया प्रतीत होता है।

20. पुर का ताम्र-पत्र (1535 ई.)-इस ताम्र-पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि, गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान संग्राम सिंह (सांगा) की हाड़ा

रानी कर्मवती (करमेती) के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश किया तथा इस ताम्र-पत्र से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि, जौहर में प्रवेश करते समय कुछ भूमि अनुदान में दी गई थी।

21. **विजन गाँव का ताम्र-पत्र (1539 ई.)**—यह ताम्रपत्र महाराणा उदयसिंह के समय का है, जब उसने अपने राज्यारोहण काल के उपरांत चित्तौड़ के आसपास पुनः नई व्यवस्था स्थापित करना आरम्भ किया। यह ताम्रपत्र उदयसिंह के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों की उपलब्धियों पर काफी प्रकाश डालता है।

22. **देवथड़ा गाँव का ताम्र-पत्र (1543 ई.)**—यह ताम्र-पत्र महाराणा उदयसिंह के काल का है, इसमें उल्लेखित है कि महाराणा ने केशवनाथ ब्राह्मण को देवथड़ा गाँव में अगणवे रहँट का वाड सहित अनुदान किया। इसमें प्रयक्त किये गये शब्द रहिट (रहँट), वाड्या (वाड) आदि उस समय की भूमि व्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयोगी है।

23. **पलासिया गाँव का ताम्र-पत्र (1543 ई.)**—यह ताम्र-पत्र महाराणा उदयसिंह के समय का है, जिसमें शंकर व्यास को पलासिया गाँव (माण्डलगढ़ परगना) का ग्रास पुण्यार्थ दिये जाने का उल्लेख है।

24. **घोड़च का ताम्र-पत्र (1543 ई.)**—यह ताम्रपत्र महाराणा उदयसिंह के समय का है। इसमें घोड़च गाँव के केशवनाथ को एक रहँट तथा वीडे की भूमि देने का उल्लेख है। यह ताम्र पत्र बड़े महत्व का है, क्योंकि यह भूमिदान उसी समय का है, जब संभवतः महाराणा शेरशाह के आक्रमण की संभावना के काल से गुजर रहा था।

25. **गाँव महदी का ताम्र-पत्र (1544 ई.)**—महाराणा उदयसिंह के समय के इस ताम्रपत्र में व्यास ब्रह्मादास को ग्राम महदी पुण्यार्थ देना अंकित है। इस समय शाहआशा प्रधान था। इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि जब जोधपुर विजय के बाद शेरशाह चित्तौड़ की ओर आ रहा था, तब महाराणा ने जहाजपुर में ही किले की कुंजियाँ भिजवाकर एवं सुलह कर उसे वापस लौटा दिया।

26. **गाँव पाड़ीव (सिरोही) का ताम्र-पत्र** (1546 ई.)-इस ताम्र-पत्र में अरिसिंह जी दुर्जनशाल द्वारा जोसी रामा को भूमि दान देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में 'ढीबड़ूँ' तथा 'खेत्र' एवं 'ग्रास' शब्दों का प्रयोग हुआ, जो उस समय की सिंचाई एवं खेतों की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

27. **लावा गाँव का ताम्र-पत्र** (1558 ई.)-महाराणा उदयसिंह के समय के इस ताम्रपत्र में महाराणा द्वारा भोला ब्राह्मण को लावा गाँव (बदनौर क्षेत्र) की **240 बीघा भूमि (मगरा 200 बीघा, गोरचा 25 बीघा, डोली 15 बीघा)** दान में देने का उल्लेख है। इसमें यह भी वर्णित है कि महाराणा ने भोला ब्राह्मण को आगे से 'मापा' (कन्या विवाह पर लिया जाने कर) वसूल नहीं करने का आदेश दिया। इस ताम्रपत्र से महाराणा के एकलिंगजी के दर्शनार्थ

आने की तिथि तथा वि.सं. 1616 में उदयपुर शहर बसाने की भी पुष्टि होती है।

28. **ढोल का ताम्र-पत्र** (1574 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा प्रताप के समय का है, जबकि उसने ढोल नामक गाँव में सैनिक चौकी का प्रबंध किया था और उसी के प्रबंधक जोशी पुनो को ढोल में भूमि का अनुदान दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किये गये प्रबंध का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष था, जिस पर उक्त महाराणा ने पूरा ध्यान दिया।

29. **गाँव पीपली (मेवाड़) का ताम्र-पत्र** (1576 ई.)–यह ताम्र-पत्र महाराणा प्रताप के समय का है। इसमें महाराणा द्वारा आचार्य बालाजी को पीपली मया करने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद केन्द्रीय मेवाड़ के क्षेत्र में प्रजा को पुनः बसाने का काम महाराणा ने आरम्भ कर दिया था। जिन्हें इस युद्ध के समय हानि उठानी पड़ी थी उनकी सामयिक सहायता की गई थी।

30. **ओड़ा गाँव का ताम्र-पत्र** (1577 ई.)–महाराणा प्रताप के समय के इस ताम्रपत्र में महाराणा द्वारा ओड़ा गाँव (मेवाड़) पुरोहित रामभगवान काशी को पुण्यार्थ दिये जाने का उल्लेख है। पहले यह गाँव महाराणा उदयसिंह ने दान किया था, परन्तु गोगुन्दा की लड़ाई के दिनों में पुराना ताम्रपत्र खो गया। जिसके स्थान पर नया ताम्रपत्र खुदवाया गया। इसकी आज्ञा भामाशाह द्वारा दी गई और पंचोली जैता ने इसे लिखा। इससे जानकारी मिलती है कि बनवीर के समय उदयसिंह को कुम्भलगढ़ की गद्दी पर बिठाने वाले सरदारों में रावत खान (कोठारिया) ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। साथ ही महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के बाद जो अव्यवस्था हो गई थी, उसे ठीक करने का काम प्रताप ने आरम्भ कर दिया था, इसका भी वर्णन मिलता है।

31. **प्रतापगढ़ का ताम्र-पत्र** (1622 ई.)-यह ताम्रपत्र वि.सं. 1679 कार्तिक शुक्ला 11 का जोशी ईसरदास के नाम का है, जिसमें बहु राठौड़ तथा बहुराणी खानण को 31 बीघा भूमि सूर्यग्रहण के अवसर पर दान देने का उल्लेख है। इस ताम्र-पत्र से उस समय की धार्मिक स्थिति का पता चलता है।

32. **ठीकर्‍या गाँव का ताम्र-पत्र** (1628 ई.)–यह ताम्र-पत्र महाराणा जगतसिंह के समय का है, जिसमें गढ़वी खीमराज दधिवाड्या को गाँव ठीकर्‍या उदक देने का उल्लेख है। इसको साह अखैराज के प्रतिदुबे से पंचोली केशवदास द्वारा लिखा गया।

33. **मणुआराषेड़ा का ताम्र-पत्र** (1641 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा जगतसिंह के समय का है। इस ताम्र-पत्र से हमें यह पता चलता है कि मेवाड़ की महारानी कँवरदे कोर (महाराणा कर्णसिंह की रानी) ने द्वारिका की यात्रा की थी।

34. **बेड़ावास का ताम्र-पत्र** (1643 ई.)-यह दान-पत्र **महारावल समरसिंह** (बाँसवाड़ा) के काल का है। इसमें 8 नवम्बर, 1643 ई. को एक हल भूमि का दान करने का उल्लेख है।

35. **डीगरोल गाँव का ताम्र-पत्र** (1648 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा **जगतसिंह** के काल का है, जिसने **गढवी मोहनदास** को **डीगरोल गाँव**, जो परगना **आगरिया** में था, पुण्यार्थ दिया था। उक्त महाराणा प्रतिवर्ष एक चाँदी की तुला दान करता था। विक्रम सवंत् 1704 से तो इसमें प्रतिवर्ष स्वर्ण की तुला दान करने और भूमि दान करने की भी व्यवस्था की थी। इस काल तक मेवाड़ में कई परगने बना दिये गये थे जिनमें आगरिया भी एक था।

36. **कीटखेड़ी (प्रतापगढ़) का ताम्र-पत्र** (1650 ई.)-इस ताम्रपत्र में **राजमाता चौहान** द्वारा बनवाये गये **गोवर्धन नाथ जी के मंदिर** की प्रतिष्ठा के समय **कीटखेड़ी गाँव** के **भट्ट विश्वनाथ** को दान देने का उल्लेख है। इसमें विश्वनाथ को **दीक्षा गुरु** कहा गया है। इस ताम्र-पत्र से हमें तत्कालीन मेवाड़ में शैक्षणिक प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है।

37. **रंगीली ग्राम (मेवाड़) का ताम्र-पत्र** (1656 ई.)-यह ताम्र-पत्र **महाराणा राजसिंह प्रथम** के समय का है जबकि उसने **गंधर्व मोहन** को रंगीला नाम का गाँव **उदक** किया। इसके साथ ही गाँव में लगने वाली **खड़, लाकड़** और **टका** की लागत को भी छोड़ दिया।

38. **कडियावद का ताम्र-पत्र** (1663 ई.)--कडियावद प्रतापगढ़ जिले से 7 मील दूरी पर है। इसमें उल्लेख है कि **बाटीराम** को **'नेग'** वसूल कर देने की अनुज्ञा **महारावत हरिसिंह** जी के द्वारा दी गई। **नेग** वसूल करने का अधिकार **चारणों को सूरजमल** के समय से था, इसकी पुष्टि इस ताम्र-पत्र से होती है।

39. **बाँसवाड़ा का दानपत्र** (1671 ई.)-यह ताम्रपत्र बाँसवाड़ा के **महारावल कुशलसिंह** के समय का है। इस ताम्र-पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि, **वागड़ प्रदेश** के महारावल की माता **आनन्द कुँवरी** द्वारा गंगाजी महोत्सव पर ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई थी, जो इस क्षेत्र में **'गंगाजी महोत्सव'** का महत्व दर्शाता है।

40. **पारणपुर का ताम्र-पत्र** (1676 ई.)--यह ताम्रपत्र प्रतापगढ़ के **श्री मेहता नाथूलाल जी** के पास देखा गया। यह ताम्रपत्र स्थानीय भाषा के अध्ययन के लिए उपयोगी है तथा इसमें **टकी, लाग** एवं **रखवाली** आदि करों का उल्लेख भी है।

41. **पाटण्या गाँव का ताम्र-पत्र** (1677 ई.)--यह ताम्र-पत्र देवलिया के **महारावत प्रतापसिंह** के समय का है। इस दान पत्र में प्रतापसिंह द्वारा पाटण्या गाँव **मेहता जयदेव** को दान करने का उल्लेख है। इस ताम्र-पत्र के प्रारम्भ में **गुहिल से लेकर भर्तृभट्ट तक** के गुहिल राजाओं के नाम दिये हैं और फिर **क्षेमकरण से**

लेकर हरिसिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का क्रमबद्ध वर्णन है। इसे सोनी हीरा ने खोदा।

42. राजसिंह का ताम्र-पत्र (1678 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा राजसिंह प्रथम के समय का है, जिसमें वेणा नागदा को दो गाँवों में तीन हल की भूमि राणी बड़ी पँवार के राजसमुद्र पर तुला दान के उपलक्ष में पुण्यार्थ दिये जाने का उल्लेख है।

43. कालोड़ा का ताम्र-पत्र (1694 ई.)-महाराणा जयसिंह के समय के इस ताम्रपत्र में दवे रामदत्त को कालोड़ा गाँव में दो हल भूमि दान में देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में स्पष्ट रूप से दो हल भूमि की नाप 100 बीघा दी गई है अर्थात् 1 हल भूमि 50 बीघा के बराबर सिद्ध होती है। इसमें भूमि का विभाजन 'ऊनालू' तथा 'सियालू' की उपज के आधार पर किया गया है।

44. कोघाखेड़ी (मेवाड़) का दानपत्र (1713 ई.)-इस दानपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय यहाँ का शैक्षणिक स्तर काफी उन्नत था तथा राजा द्वारा दिनकर भट्ट नामक व्यक्ति को कोघाखेड़ी गाँव दान में देने का उल्लेख है।

45. बेगूँ का ताम्र-पत्र (1715 ई.)-यह ताम्र-पत्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय का है, जिसमें प्रहलाद को बेगूँ से एक रहँट व भूमि पीवल, माल, बाग आदि के देने का उल्लेख है। यह अनुदान भूमि के सभी वृक्ष, कुएँ, नींवाण समेत किया गया था। यहाँ का [illegible] ज्य का रहेगा ऐसा भी उल्लेख है। यह लेख भूमि विभाजन की प्रथा पर प्रकाश डालता है।

46. सखेड़ी का ताम्र-पत्र (1716 ई.)-यह ताम्रपत्र महारावत गोपाल सिंह जी का है, जिसमें गुँसाई गंगारिजी को नाथूखेड़ी के बदले में गाँव सेखड़ी को अनुदान के रूप में देने का उल्लेख है। इसमें कथकावल नामक **कर** का उल्लेख मिलता है, जो स्थानीय कर प्रतीत होता है। इस ताम्रपत्र से प्रतापगढ़ के शासक महारावत उम्मेदसिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई महारावत गोपालसिंह ने अपने भतीजे (उम्मेदसिंह का पुत्र) के विरूद्ध अपनी गद्दी को सुदृढ़ किया, इसका वर्णन मिलता है।

47. गाँव वाड़ी का ताम्र-पत्र (1727 ई.)-महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय के इस ताम्रपत्र में महाराणा द्वारा जोशी हरवंस सनाढ्य को गाँव वाड़ी (ऊँटाला परगना) में दो हल भूमि पुण्यार्थ देने का उल्लेख है। इस दान में कुछ भूमि कम पड़ गई थी, जिसकी पूर्ति गाँव डबोक से तथा खालसा भूमि से की गई। इस ताम्रपत्र में भूमि का विभाजन माल, मगरा, खालसा आदि से किया जाना प्रमाणित है। धाबाई नागा ने इसकी आज्ञा दी एवं पंचोली लक्ष्मण ने इसे लिखा।

48. वरखेड़ी का ताम्र-पत्र (1739 ई.)-महारावत गोपालसिंह के समय के इस ताम्रपत्र में दसूँदी (भाट) कान्हा को लाख पसाव (एक सम्मानपूर्वक इनाम, जो कवि और विद्वानों को दिया जाता

था) में वरखेड़ी गाँव और लखणा की लागत (यह प्रतिष्ठासूचक लागत लेने का विशेष अधिकार है) देने का उल्लेख है।

49. वाड़िया का ताम्र-पत्र (1813 ई.)-बाँसवाड़ा के महारावल विजयसिंह के समय के इस ताम्रपत्र में दौलतराव सिंधिया और धार की संबंधित सेना द्वारा बाँसवाड़ा पर आक्रमण करने का उल्लेख है। इसमें खवास शंकरनाथ को वाड़िया गाँव व एक बावड़ी दान में देने का उल्लेख है।

50. प्रतापगढ़ का ताम्र-पत्र (1817 ई.)-इस तामपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला 'टंकी कर' हटा दिया गया था।